।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोंठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत जाजौर

प्रार्थना पत्र सं० : 3/33A/30/11/21 दिनांकः 14.12.2021

01– अमी खां पुत्र सिताब खां उम्र करीब 75 साल जाति मेव निवासी ग्राम नाहरपुर कलां तहसील व जिला अलवर –प्रार्थी

बनाम

01– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, अलवर तहसील व जिला अलवर

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प जाजौर में पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, 193 मिन रकबा 14 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 415 रकबा 1.29 है० कायम हुआ है। प्रार्थी ने अपने भाई सूबे खां व मिसरू खां के साथ मिलकर समभाग में श्रीमती भिरामा बाई बेवा त्रिलोक चन्द से रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.06.1979 से खरीदा था। वर्तमान में उक्त आराजी प्रार्थी व उसके भाई सूबेखां व मिसरू खां के नाम बहिस्से बराबर से खातेदारी में चली आ रही है। उक्त बैयनामें में प्रार्थी का नाम अमीखां दर्ज किया हुआ है, उक्त बैयनामा के इंतकाल संख्या 375 में भी प्रार्थी का नाम अमीखां दर्ज किया हुआ है, किन्तु इन्तकाल का अमल करते समय राजस्व कर्मचारियान ने सहवन अथवा त्रुटिपूर्वक अमीर खां दर्ज कर दिया। जिस कारण राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम अमी खां के स्थान पर अमीर खां दर्ज होता चला आ रहा है। प्रार्थी का सही नाम अमीखां ही है जो कि बैयनामा व इंतकाल में दर्ज है। आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशन कार्ड आदि में भी अमी खां दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अमीर खां दर्ज रहने से प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

भारी नुकसान है जिससे प्रार्थी के हकूक जायल होकर खतरे में पडने अन्देशा है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकारी है। इससे पूर्व सहवन से हुई त्रुटि के सम्बन्ध में प्रार्थी को पहले कोई जानकारी नही थी। अब दिनांक 20.11.2021 को पटवारी हल्का से उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। पटवारी हल्का ने नाम दुरूस्त कराने से इन्कार कर दिया ओर कहा कि अदालत में चाराजोही करो। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 415 रकबा 1.29 है० वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कला तहसील अलवर में राजस्व अभिलेख ताहाल में प्रार्थी का नाम जहां जहां भी अमीर खां दर्ज किया हुआ है उसके स्थान में अमीखां दर्ज कर दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2069–2072, जमाबन्दी सम्वत 2069–2074, प्रमाणित प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051, प्रमाणित प्रति भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2051–2070, प्रमाणित प्रति इंतकाल संख्या 375, फोटोप्रति बैयनामा दिनांक 18.05.1979 एवं अमी खां के आधार कार्ड संख्या 839177413645 की फोटोप्रति, मतदाता पहचान पत्र की फोटोप्रति नं० आरजे/08/061/456241 शपथपत्र सूबेखां एवं मिसरू खां पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 एवं ताहाल की जमाबन्दीयों में आराजी खसरा नम्बर 415 रकबा 1.29 है० वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कला तहसील अलवर में अमीर खां का नाम कलमजन किया जाता है एवं अमीर खां को दुरूस्त कर अमी खां दर्ज करने के तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है। अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत जाजौर में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)